


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं. 158/2014

उनवानी :- अमृतलाल व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य

दिनांक	फर्द अहकाम
03.02.2026	<p>पत्रावली पेश हुई। बार - बार आवाज दिलाने के उपरान्त भी वादीगण एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। इसलिए मुकदमा नं. 158/2014 उनवानी अमृतलाल व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य दावा बाबत इस्तकरार हक (दुरुस्ती इन्द्राज), तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p> उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी (करौली)</p>